भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1814

09 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएम स्वनिधि योजना का कार्यान्वयन और विस्तार

1814 # श्री मिथलेश कुमारः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री बृज लालः
डा. दिनेश शर्माः
श्री मयंककुमार नायकः
श्री अमर पाल मौर्यः
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री सुभाष बरालाः
श्री नरहरी अमीनः
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
श्री एस. सेल्वागनबेथीः
श्रीमती दर्शना सिंहः
श्री मदन राठौड़:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के किसी संशोधित या विस्तारित संस्करण को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वह वर्तमान योजना से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या सरकार पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड आधारित वित्तीय सुविधा या इसी प्रकार के डिजिटल ऋण साधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएम स्वनिधि के तहत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, ऋण की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) जी हाँ। सरकार ने पुनर्गठित प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को अनुमोदन दे दिया है, जिसके तहत ऋण देने की अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। पुनर्गठित योजना में पहली किस्त और दूसरी किस्त के लिए ऋण राशि को क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। पुनर्गठित योजना में अब खुदरा डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक के अलावा थोक खरीदारी पर भी कैशबैक का प्रावधान है। इस योजना में सांविधिक शहरों से आगे बढ़ाकर जनगणना शहरों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों आदि को भी चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, दूसरी ऋण किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड 23 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था और अब तक देश भर से 24,927 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यूपीआई से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में अधिक जानकारी पीएम स्वनिधि पोर्टल https://www.pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर उपलब्ध है।

(घ) पीएम स्वनिधि योजना की शुरू होने से लेकर 1 मार्च 2026 तक, देश भर में 73.8 लाख, 28.5 लाख और 7.2 लाख लाभार्थियों ने क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी ऋण किस्त का लाभ उठाया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के लाभार्थियों का अवधि-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

दिनांक 09 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1814 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के लाभार्थियों का अवधि-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(01.03.2026 तक)

राज्य का नाम	**प्रथम किस्त ऋण लाभार्थियों की संख्या**	**द्वितीय किस्त ऋण लाभार्थियों की संख्या**	**तीसरी किस्त ऋण लाभार्थियों की संख्या**
राजस्थान	2,15,769	62,735	9,652
उत्तर प्रदेश	14,83,709	5,70,586	1,07,293

(आंकड़ा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल)
